# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

**(पीठासीन अधिकारीः— रामचन्द्र, आर0ए0एस0)**

**अपील संख्याः—23 / 2024 / 225 आर.टी.एक्ट (2024 / 23)**

1. ओमप्रकाश जांगिड पुत्र लादूराम खाती
2. राजकुमारी(फूंतरी) पुत्री लादूराम खाती
   समस्त जाति खाती निवासी केकडी तहसील केकडी जिला केकडी।

**अपीलांट्स**

**बनाम**

1. सम्पत पुत्र स्व0 प्यारेलाल जाति खाती निवासी ग्राम उन्दरी हाल निवासी कुर्मी मोहल्ले के पास कादेडा तहसील केकडी, जिला केकडी।
2. केदार पुत्र स्व0 प्यारेलाल
3. बद्रीलाल पुत्र स्व0 प्यारेलाल
   जाति खाती निवासी ग्राम उन्दरी हाल निवासी पण्डेर रोड सावर तहसील सावर जिला केकडी।
4. कैलाशी पुत्री स्व0 प्यारेलाल पत्नि रामदेव जाति खाती निवासी देवली चौराहा बस स्टेण्ड रोड सावर तहसील सावर जिला केकडी।
5. पुष्पा पुत्री स्व0 रामधन पत्नि स्व0 मिश्रीलाल जाति खाती निवासी गीताबंद आश्रम के पास अंगीरा नगर 9 नम्बर पेट्रोल के पास अजमेर जिला अजमेर।
6. इंद्रा पुत्री स्व0 रामधन पत्नि संजय कुमार जांगिड आदर्श नगर सिंधी मंदिर के पीछे अजमेर जिला अजमेर।
7. पुष्पादेवी पत्नि सम्पतलाल जाति खाती निवासी कुर्मी मोहल्ले के पास कादेडा तहसील केकडी जिला केकडी।
8. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार कादेडा जिला केकडी।

**रेस्पोडेन्ट्स**

**अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध आदेश दिनांक 30.01.2024 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी राजस्व वाद संख्या 255 / 2022(2022 / 829)**

**उपस्थितः—**

1. श्री एस0पी0औझा अभिभाषक अपीलांट
2. श्री सी0पी0 पाराशर, भवानीसिंह रावत अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1 से 7
3. श्री लोकेन्द्र बंजारा, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 2 से 6
4. श्री विकास पराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 8

## निर्णय

**दिनांकः—12.08.2025**

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी द्वारा प्रकरण संख्या 255 / 2022 (2022 / 829) में पारित आदेश दिनांक 30. 01.2024 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण/अपीलांट ने एक राजस्व वाद उपखण्ड अधिकारी, केकडी के न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 53, 188, 209 बाबत खातेदारी घोषणा तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु अप्रार्थीगण/रेस्पोडेंट के विरूद्ध प्रस्तुत किया। वाद के साथ ही एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकारों की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 30.01.2024 द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी द्वारा प्रकरण संख्या 255/2022 (2022/829) में पारित आदेश दिनांक 30.01.2024 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी, केकडी के द्वारा जो आदेश पारित किया जो नॉन स्पीकिंग कारण रहित आदेश है जो आदेश की परिभाषा में नहीं आता है। उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी द्वारा पारित नॉन स्पीकिंग आदेश विरोधाभासी है क्योंकि उन्हें अपने निर्णय में एक मात्र यह अंकित किया कि प्रथम दृष्टया प्रकरण सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित हो रहे है विधि सम्वत् नहीं कहा जा सकता है। प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्टया प्रार्थीगण के पक्ष में प्रथम दृष्टया प्रकरण व सुविधा का सुतंलन भी नहीं पाया गया है। अतः प्रार्थीगण अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का हकदार नहीं है। इस प्रकार उनके निर्णय का अवलोकन किया जाये तो वह यह स्पष्ट है कि उनका निर्णय किस प्रकार से वैधानिक है तथा दोनों ही पक्षकारों का केस नहीं होना पाया उसके बावजूद प्रार्थना पत्र को खारिज किया है। विवादित आराजी भूरा की खातेदारी की आराजी थी तथा भूरा के दो पत्नि समदी तथा तीन पुत्रीयां संतोक देवी, अलोल, एवं गठुली थी इस प्रकार भूरा के स्वर्गवास के पश्चात् उनके पांचो वारिसों में 1/5, 1/5, हिस्सा दर्ज होना था मात्र समदी एवं मूली के नाम ही इन्द्राज किया गया संतोक देवी जो प्रार्थीगण, अपीलांट की माता है जिसका विवादित आरजीयात में 1/5 हिस्सा था अगर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं भी हुआ हो तो उनके हक व अधिकार समाप्त नहीं होते है उसके बावजूद अपने कारण रहित आदेश द्वारा अन्तर्गत आदेश पारित करने में भारी भूल की है। उपखण्ड अधिकारी महोदय, केकड़ी का यह मानना की प्रार्थना पत्र का हक व अधिकार का अन्तिम निर्धारण नहीं करता है तथा हक व अधिकार का प्रश्न बाद शाहदत मूल वाद में तय होगा। लेकिन उन्होंने यह नहीं देखा कि विवादित आराजी रहन, बय, मुन्तकिल, गलत इन्द्राज के आधार पर हो जाता है तो विवादों को बढ़ावा मिलेगा और आये दिन झगड़ा विवाद होगा उसके बावजूद प्रार्थना पत्र को कारण रहित आदेश द्वारा उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी ने प्रार्थना पत्र को खारिज करने में भूल की है। न्यायालय का भी यह उत्तरदायित्व है कि पक्षकारों के मध्य वाद विचाराधीन है तो विचाराधीन वाद के रहते सम्पति की सुरक्षा की जानी चाहिये तथा राजस्व मण्डल एवं उच्च न्यायालय ने विभिन्न सिद्धान्तों में यह प्रतिपादित किया है कि

जहां पारिवारिक सदस्यों के मध्य वाद विचाराधीन हो तो भी खातेदार को भी अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जा सकता है उसके बावजूद उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी ने अन्तर्गत आदेश प्रार्थना पत्र को खारिज करने में भूल की है। अप्रार्थी/रेस्पो. 1 व 7 जो पति–पत्नि है और अलोल पुत्री भूरा, के वारिस है जिन्होंने सम्पूर्ण आराजी को गोदपुत्र वसीयत, अथवा, विक्रय पत्र के आधार पर आराजीयात को राजस्व अधिकारियों से मिलकर अपने नाम दर्ज करवाई है अथवा मूली देवी, एवं समदी ने अपने हक व अधिकारों से अधिक जाकर उपरोक्त कार्य किये तो उसे अप्रार्थी संख्या 1 व 7 को कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं होते है एवं ना ही प्रार्थीगण के कोई हक व अधिकार समाप्त होते है और उपरोक्त वसीयत गोदपुत्र, बेचान, का वाद में उनकी जिनाईननेस कि साक्ष्य उपरान्त तय होगा कि उनसे कोई हक व अधिकार प्राप्त होगे या नहीं लेकिन दौराने वाद सम्पति की सुरक्षा हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा पारित किया जाना न्यायोचित था। उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के पत्रावली के यहा विचाराधीन प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी भूरा की खातेदारी की है जो एकीकरण, वर्किंग, एवं हाल राजस्व रिकॉर्ड के मिलान क्षेत्रफल प्रस्तुत हुए है तथा भूरा के 5 वारिस होना भी स्पष्ट है लेकिन आराजी मात्र समदी व मूली के नाम ही दर्ज की गई जो राजस्व रिकॉर्ड से स्पष्ट है कि उनके द्वारा कोई बेचान, वसीयत की गई है तो उनकी वैद्धता वाद में निर्धारित होगी। लेकिन उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी ने इन सब को नजर अन्दाज कर कारण रहित निर्णय द्वारा प्रार्थना पत्र को खारिज करने में भूल की है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी द्वारा प्रकरण संख्या 255/2022 (2022/829) में पारित आदेश दिनांक 30.01.2024 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें। अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपने समर्थन में न्यायिक दृष्टांत 2020(3)डीएनजे(एस0सी)पेज 817, आरआरडी 1998 पेज 465, डीएनजे 2009(एससी)पेज 53, आरआरडी 2002 पेज 744, आरआरडी 1993 पेज 206, आरआरटी 2023(2) पेज 1303, आरआरटी 2024(1) पेज 105, डीएनजे 2019(एस0सी) पेज 131, डीएनजे रेवेन्यू 2020(1) पेज 1 प्रस्तुत किए।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1 से 7 ने दौराने अपील लिखित बहस में कथन किया कि सम्पत्त के पक्ष में किया गया भूमि का अन्तरण दिनाक 14.06.1989 का है जो की रजिस्टर्ड वसीयत से किया गया अन्तरण है इसी प्रकार रेस्पोडेन्ट संख्या–7 के पक्ष में किया गया भूमि का अन्तरण दिनांक 26.10.1996 का है विवादित भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या–1 व 7 को जरिये रजिस्टर्ड दस्तावेज अन्तरित भूमि है तथा उक्त दोनों ही अन्तरण दिनांक 20.12.2004 से पूर्व के है तथा विवादित भूमि गत् 30 वर्षों से भी अधिक समय से रेस्पो० संख्या–1 व 7 के कब्जे काश्त में चली आ रही है तथा रजिस्टर्ड दस्तावेजात के आधार पर ही रेस्पोडेन्ट सख्या–1 व 7 राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार दर्ज है प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का सन्तुलन अपार हानी का तथ्य रेस्पोडेन्ट सख्या–1 व 7 के पक्ष में होकर विरुद्ध अपीलांट है जिसके आधार पर ही तहत न्यायालय ने अपीलांट का धारा 212 का प्रार्थना पत्र खारीज करने में किसी भी प्रकार की वैधानिक त्रुटि कारित नहीं की है। भूरालाल की मृत्यु के उपरान्त उनकी पत्नियों को जरिये विरासत जो सम्पत्ति प्राप्त हुई थी वह हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम

1958 की धारा 14 के अन्तर्गत उनके अत्यधिक विधिक अधिकारी स्वरूप प्राप्त सम्पत्ति थी जिनका उनको किसी भी प्रकार से उपयोग उपभोग करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त था जिसका उनके द्वारा अन्तरण जरिये रजिस्टर्ड दस्तावेज रेस्पोन्डेन्ट के पक्ष में किया गया। यहां यह भी लिखना उल्लेखनीय है कि उक्त सम्पत्ति बाबत भूरालाल की अन्य वारिसानों ने कोई क्लेम प्रस्तुत नहीं किया तथा सहर्ष अपना जीवन व्यतीत किया परन्तु पश्चातवर्ती घटनाक्रम में वादीगण द्वारा मात्र रेस्पो/प्रतिवादी को हैरान–परेशान करने की गरज से उक्त वाद प्रस्तुत किया। रेस्पो को उक्त आराजी जरिये रजिस्टर्ड दस्तावेज प्राप्त हुई है ना कि अन्य किसी अन्य आधार या विरासत से वादीगण की दूषित मानसिकता का अभास इसी तथ्य से लगाया जा सकता है कि वादी/अपीलांट द्वारा उक्त वाद पत्र मात्र प्रतिवादीगण के विरूद्व ही प्रस्तुत किया है जबकि तत्सयम उक्त आराजी अन्य दिगर व्यक्तियों को भी अन्तरित की गई थी जिनके नाम का अंकन राजस्व रिकॉर्ड में था जिसके आधार पर भी वादी का वाद नोन जाईंडर ऑफ पार्टिज के आधार पर भी खारिज होने योग्य था तो ऐसे में अपील में किसी प्रकार का अनुतोष रिलीफ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अपीलांट द्वारा राजस्व न्यायालय से प्रार्थी/रेस्पो के रजिस्टर्ड विक्रय विलेखों को शून्य एवं निष्प्रभावी करवाने की रिलीफ मांगी गई है जिसको सुनवाई का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं होने से भी उक्त कार्यवाही खारिज किये जाने योग्य है। अप्रार्थी वादग्रस्त आराजी के बतौर रिकॉर्डेड खातेदार गत 30 वर्षो से भी अधिक समय से चले आ रहे है तथा विक्रय पत्र/वसीयत की दिनांक से ही उक्त आराजी रेस्पो. के कब्जे काश्त में चली आ रही है ऐसे में एक रिकॉर्डेड खातेदार जो कि आराजी पर निर्बाध रूप से इतने लम्बे समय से काबिज काश्ते चले आ रहे है को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से किसी भी प्रकार से पाबंद नहीं किया जा सकता है प्रार्थी कब्जे के अभाव में न्यायालय को मुगालते में रखते हुये अन्तरिम निषेधाज्ञा प्राप्त करना चाहता है जिसे उसे कोई हक व अधिकार नहीं होने से प्रार्थी की अपील इसी आधार पर खारिज किये जाने योग्य है। माननीय उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय एवं माननीय राजस्व मण्डल ने अपने अनेकानेक निर्णयों में यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया है कि रिकॉर्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान किया जाना एवं उसे निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित नहीं है जैसा कि :– 2013 RBJ-95] 2004 RBJ 270, 2004 RBJ-163, 2005 RBJ-88, 2011 RBJ-174, 2006 RBJ-21 उक्त न्यायिक दृष्टान्तो के आलोक में अपीलांट की अपील इसी आधार पर खारिज किये जाने योग्य है। रेस्पो0 गत 30 वर्षो से अधिक वर्षो से उक्त आराजी पर निर्बाध रूप से बतौर खातेदार काबिज काश्त चले आ रहे है उक्त आराजी पर कभी भी अपीलान्ट का कब्जा काश्त नहीं रहा है ना ही आज है जिसके संबंध में रेस्पो0 द्वारा उक्त की गिरदावरियां भी अवलोकनार्थ प्रस्तुत की जा रही है ऐसी स्थिति में जब व्यक्ति कब्जे में ही नहीं हो तो उसके पक्ष में टी.आई. का आदेश जारी नहीं किया जा सकता जैसा कि 2008 RBJ 390 न्यायिक दृष्टान्त में उक्त आशय का सिद्वान्त प्रतिपादित किया गया है इसी आलोक को मध्यनजर रखते हुये उक्त अपील खारिज किये जाने योग्य है। अपीलांट ने आराजी की वर्तमान स्थिति सन्दर्भ में झूठा सजरा प्रस्तुत किया है क्यों की रेस्पो0 संख्या 1 व 7 ने आराजी विरासत से नहीं प्राप्त की बल्कि 30 वर्ष पूर्व पंजीकृत दस्तावेजो वसीयत व विक्रय पत्र द्वारा यह आराजी आई है, 30 वर्षो से रिकार्डेड खाताधारी रेस्पो0 संख्या 1 व 7 है और तब से ही

इनका अपने नाम दर्ज इस आराजी पर आज तक कब्ज़ा, काश्त, स्वामित्व है, रेस्पोंडेंट से अपीलांट का कोई संबंध, सरोकार ही नहीं है। वादी/अपीलान्ट का वाद पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है जिसमें प्रार्थी के अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुये दोनों पक्षों के दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यो एवं रिकॉर्ड के अवलोकनापरान्त ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट/वादी के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होने के आधार पर खारिज किया है, तहत न्यायालय का Discerection क्षेत्राधिकार था जिसमें अपील के माध्यम से किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए उक्त आशय का सिद्धान्त भी अनेकानेक न्यायिक दृष्टान्तों में पारित किया है जैसा कि 2008 RBJ-69 इसके आलोक में भी उक्त अपील खारिज किये जाने योग्य है। बिना राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी एवं गिरदावरी में इन्द्राज कब्जा नहीं माना जा सकता है एवं अपीलान्ट द्वारा उक्त के संबंध में अपने कब्जे एवं मालिकाना हक के बाबत कोई दस्तावेजात प्रस्तुत नहीं किये है (जैसा कि 1997 RBJ-511 में बिना दस्तावेज जमाबंदी गिरदावरी के कब्जा साबित नहीं माना जा सकता का सिद्वान्त प्रतिपादित किया है इसी आलोक में अपीलान्ट की अपील खारिज किये जाने योग्य है। अस्थाई निषेधाज्ञा के लिए आवश्यक तत्व प्रथम दृष्टया प्रकरण अपार हानि का तथ्य, सुविधा का सन्तुलन उक्त आवश्यक तत्व अपीलांट के पक्ष में मौजूद ही नहीं है तो उनके पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर एक रिकॉर्डेड खातेदार को पाबंद नही किया जा सकता जैसा कि 2017 RBJ-312 में उक्त आशय का सिद्वान्त प्रतिपादित किया है। माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान जयपुर की एस. बी. सिविल रिट याचिका संख्या–15797/2023 विशम्भर दयाल व अन्य बनाम जगन्नाथ व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 11.12.2023 की अनुपालना में राज्य सरकार द्वारा राजस्व मण्डल/अधीनस्थ न्यायालय में लम्बित प्रकरणों बाबत मानक संचालन प्रक्रियाओं बाबत जो निर्देश जारी किये गये है उसमें पुराने प्रकरणों में स्थगन आदेश दुलर्भतम स्थिति में प्रदत्त किये जाने को निर्देशित किया गया है यहां यह लिखना उल्लेखनीय होगा कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में रेस्पो0 संख्या–1 एवं रेस्पोडेन्ट संख्या–7 के 35 वर्ष पुराने मालिकाना हक की आराजी पर स्थगन चाहा गया है जो माननीय न्यायालय द्वारा प्रदत्त किया जाना विधि संगत नहीं होगा जिसके आधार पर प्रस्तुत अपील इसी परिप्रेक्ष्य में खारिज किये जाने योग्य है।

6. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 2 से 6 ने दौराने अपील लिखित बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी स्व० भूरालाल वल्द कनीराम जाति खाती निवासी कादेडा के नाम खातेदारी एवं कब्जा काश्त की भूमि थी उनकी मृत्यु के पश्चात मूली एवं समदी बेवा भूरालाल के नाम उक्त भूमि आई जिनके द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या–1 एवं 07 के पक्ष में की गई पंजीकृत. वसीयत एवं विक्रय पत्र किया गया जिस पर हमारे परिवारजनों को कोई आपत्ति कभी नहीं रही है तथा हमें आज भी कोई आपत्ति नहीं है। अपीलान्ट द्वारा झूठा सजरा प्रस्तुत किया गया है। रेस्पोन्डेन्ट से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध, सरोकार नहीं है। स्व. भूरालाल जी की प्रथम पत्नी समदी बेवा भूरालाल द्वारा रेस्पो0 संख्या 1 जिनसे की उनका पुत्रवत व्यवहार था रेस्पो संख्या 1 को जन्म से ही अपने पास रख लिया था एवं उनके द्वारा अपने पति की मृत्यु के उपरांत सामाजिक रीति रिवाज से गोद भी ले लिया था

और जिस पर अपीलेंट की माता व हमारी माता व हमारे को कोई आपत्ति कभी नहीं रही और ना आज आपत्ति है रेस्पो0 संख्या 1 आज भी यथावत यथा स्थान रहकर अपने सामाजिक कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे है। उक्त आराजी के संबंध में प्रस्तुत की गई कार्यवाही निराधार होने से खारिज किये जाने योग्य है। अपीलान्ट की माता संतोकदेवी और ना ही हमारी माता द्वारा अपने लम्बे जीवनकाल में रेस्पोन्डेन्ट के विरूद्ध आराजी को लेकर किसी भी तरह का कोई वाद प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके लिए वह पूर्ण रूप से स्वतंत्र थी तथा ना ही उनके द्वारा किसी प्रकार का कोई विरोध दर्ज किया गया जबकि संतोक की मृत्यु हुये ही 37 वर्ष हो चुके है। तो अब यह कार्यवाही मात्र रेस्पोडेन्ट संख्या–1 व 7 को हैरान परेशान करने की गरज से प्रस्तुत की गई है। स्व. भूरालाल जी की मृत्यु के पश्चात् मु. मूली व समदी के नाम पर जो नामान्तकरण खुला था वह बिलकुल सही व वैध था तथा प्रतिवादी सं. 1 व 7 के पक्ष में मु. भूली एवं समदी ने जो रजिस्टर्ड विक्रय पत्र तथा रजिस्टर्ड वसीयत की है, यह बिलकुल सही की है तथा उक्त दस्तावेजों के पंजीबद्ध होने के उपरांत प्रतिवादी सं. 1 व 7 का ही वाद पत्र में वर्णित सम्पूर्ण आराजीयात पर निरंतर तनहा कब्जा, काश्त, स्वामित्य आधिपत्य चला आ रहा है तथा रेस्पोन्डेन्ट सं. 1 व 7 ही उक्त आराजीयात के खातेदार व स्वामी है। उक्त आराजीयात पर वादीगण या अन्य किसी दीगर व्यक्ति का कोई हक, अधिकार नहीं रहा है। यह भूमि रेस्पो. संख्या–1 व 7 को रजिस्टर्ड दस्तावेज से प्राप्त हुई है जिस पर हमारे परिवारजनों को कभी कोई आपत्ति नहीं थी इसी कारण हमारी माता तथा अपीलांट की माता संतोक देवी द्वारा भी इसको कभी चैलेन्ज नहीं किया गया था सामाजिक रूप से हमारी नानी के सम्पूर्ण संस्कार रेस्पो. नंबर–1 ने ही सम्पादित किये गये थे इस भूमि के संबंध में जो भी कार्यवाही की जा रही है वह सरासर गलत होकर रेस्पो संख्या–1 व 7 को परेशान करने के लिए की जा रही है जबकि इसी भूमि के अन्य क्रेताओं को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है जिससे यह कार्यवाही अपने आप दूषित प्रतीत होती है। इस भूमि पर कब्जा एवं नाम रेस्पो. संख्या–1 एवं 7 का ही है यह गत 35 वर्षों से इस आराजी के खातेदार है इन्होंने यह भूमि विरासत से नहीं प्राप्त की है बल्कि यह भूमि इनके पास रजिस्टर्ड दस्तावेजों से आई है। जिस पर इन्हीं का कब्जा काश्त है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधिसम्मत है, इसलिए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को इसी स्तर पर खारिज किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावे।

7. हमनें अभिभाषक उभयपक्षों द्वारा कि गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। प्रार्थीगण/अपीलांट ने एक राजस्व वाद उपखण्ड अधिकारी, केकडी के न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 53, 188, 209 बाबत खातेदारी घोषणा तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु अप्रार्थीगण/रेस्पोडेंट के विरूद्ध प्रस्तुत किया तथा साथ ही एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अप्रार्थीगण/रेस्पोडेंट द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में उभयपक्षकारान की बहस सुनते हुए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 खारिज किए जाने के

आदेश पारित किए गए। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है।

वर्तमान प्रकरण में अपीलांट/प्रार्थी द्वारा पारिवारिक सजरा प्रस्तुत किया गया है जिसके अनुसार भूरालाल की दो पत्नि थी समदी प्रथम व मूली द्वितीय। संतोक देवी, अलोल एवं गठूली पुत्रीयां होना दर्शाया संतोक पुत्री के ओमप्रकाश एवं राजकुमारी पुत्र एवं पुत्री जो प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांटगण हैं। अलोल पुत्री के कैलाशी पुत्री, बद्री, संपत, केदार होना दर्शाया। इसी प्रकार गठूली के पुष्पा एवं इंद्रा पुत्री होना दर्शाया। विवादित आराजीयात को जरिए पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा मूली ने अपना 1/2 हिस्सा अप्रार्थी संख्या 7 पुष्पा देवी पत्नि संपतलाल को बेचाना किया गया तथा दिनांक 14.06.1989 को समदी द्वारा 1/2 हिस्सा पंजीकृत वसीयत द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के हक में निष्पादित किया गया। विवादित आराजीयात के संबंध में अनुतोष पाने हेतु वादी/अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। परंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 को निर्णित किए जाने के तीन मूल भूत बिंदुओं को इस प्रकार निर्णित किया कि *" प्रथम दृष्टया प्रकण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित हो रहे है विधि सम्मत नहीं कहा जा सकता है। प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन भी नहीं पाया गया अतः प्रार्थीगण अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का हकदार नहीं है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज किया जाता है। "*

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किस आधार पर बिना किसी अवलोकन के प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 को निर्णित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किए गए निर्णय में किसी प्रकार का कोई विवेचन नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में यह अंकन किया है कि यह प्रार्थना पत्र हक, अधिकार का अंतिम निर्धारण नहीं करता है तथा हक व अधिकार का प्रश्न वाद शहादत मूल वाद में तय होगा। प्रकरण का मूल रूप से अंतिम निस्तारण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ही होना है परंतु अधीनस्थ न्यायालय को अपने द्वारा किए गए निर्णय में धारा 212 के तीन मूलभूत बिंदुओं का विधिक विवेचन करते हुए अपना निर्णय पारित किया जाना चाहिए था क्योंकि उनके द्वारा किया गया निर्णय नॉन स्पीकिंग आदेश की श्रेणी में आता है जिसमें बिना किसी एक पक्ष का प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति के बिंदुओं का गुणावगुण पर विवेचन किए बिना ही प्रार्थना पत्र को खारिज किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किए गए निर्णय में यह स्पष्ट नहीं है कि 212 के तीनों बिंदु किस के पक्ष में साबित हो रहे हैं फिर किस आधार पर अपीलांट/वादी का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया। यदि अधीनस्थ न्यायालय को वादी/अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज करना था तो तीनों बिंदुओं का भलीभांति अवलोकन किए जाने के पश्चात प्रकरण का निर्णय किया जाना चाहिए था, जिससे यह स्थिति स्पष्ट हो पाती की मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखा जाना उचित है या नहीं किसी पक्ष को अपूर्णीय क्षति होने का प्रश्न उत्पन्न होगा या नहीं परंतु उनके द्वारा बिना न्यायिक विवेचन के उक्त प्रकरण में निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किए गए निर्णय से यह कहीं भी साबित नहीं हो रहा है कि प्रकरण अपीलांट/वादी के पक्ष में निर्णित किया गया है या वर्तमान रेस्पोडेंट के पक्ष में फिर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किस आधार पर वादी/अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया यह

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में कहीं पर भी स्पष्ट नहीं किया गया है, क्यों कि अधीनस्थ न्यायालय द्वार किए गए निर्णय में इस बाबत कोई फाईण्डिंग नहीं दी गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधिसम्मत नहीं है, व उनके द्वारा किया गया निर्णय नॉन स्पीकिंग आदेश की श्रेणी में आता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किए गए निर्णय को निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

*उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक स्वीकार योग्य प्रतीत होती है व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किए गए निर्णय में त्रुटि कारित हुई है अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय निरस्त किए जाने योग्य है।*

8. अतः अपील अपीलांट्स आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी द्वारा प्रकरण संख्या 255/2022 (2022/829) में पारित आदेश दिनांक 30.01.2024 को निरस्त किए जाने के आदेश प्रदान किए जाते है। अधीनस्थ न्यायालय को पत्रावली इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि वह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 के तीन मूलभूत बिंदु यथा प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति के तीनों बिंदुओं का विधिसम्मत व तर्कसंगत विवेचन करते हुए प्रकरण में पुनः गुणावगुण पर निर्णय पारित करे। उभयपक्षकारान को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 28.08.2025 को उपस्थित रहने हेतु पाबंद किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

**(रामचन्द्र)**
**राजस्व अपील प्राधिकारी,**
**अजमेर**

9. निर्णय आज दिनांक 12.08.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

**(रामचन्द्र)**
**राजस्व अपील प्राधिकारी,**
**अजमेर**